न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
22/2019	08.04.2019	29.01.2021

1. राधेश्याम पुत्र भवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
2. कैलाश पुत्र भवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

–: प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रवीण पुत्र दुर्गा प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. अनिल पुत्र राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी ततारपुर तहसील मुण्डावर हाल निवासी वि 102 अरविन्द नगर, घौण्डा दिल्ली –110053
3. प्रेम
4. महेश
5. रमेश
6. श्रीराम पुत्र प्रभू जातियान नाई निवासीयान ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
7. मतादीन पुत्र कन्हैयालाल जाति नाई निवासी ततारपुर तहसील मुण्डावर हाल निवासी यू 9/94 मंगोलपुरी, ब्लॉक क्यू 83 नई दिल्ली –110083
8. राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

–:<u>निर्णयः</u>:–

दिनांक :– 29.01.2021

1. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रहा कि :–

1. यह है कि वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर में आराजी हाल खसरा नम्बर 2068 रकबा 0.47 है0 का 1/4 भाग व खसरा नम्बर 2071 रकबा 0.19 है0, 2586/2067 रकबा 0.03 है0 1/2 भाग दर 4/5 भाग मिन प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जेकाश्त की आराजी वो कृषि कार्य हेतु निर्मित मकानात स्थित है।
2. यह है कि उपरोक्त आराजी मिन प्रार्थीगण की पैत्रिक दादालाई की आराजी है। जो आराजी मिन प्रार्थीगण को जरिये विरासत प्राप्त हुई है। जिस आराजी के राजस्व रिर्कोड में मिन प्रार्थीगण अन्य काश्तकार के नाम का अंकन दर्ज हो रहा है तथा मिन प्रार्थीगण ने आराजी में अपने कृषि कार्य के उपकरण रखने हेतु मकानात का निर्माण किया हुआ है तथा बारिग बना रखी है, नक्शा नजरी संलग्न प्रार्थना पत्र है।
3. यह है कि मिन प्रार्थीगण को अपनी आराजी में व आराजी में बने कृषि उपयोग हेतु निर्मित मकानात में आने जाने के लिये [illegible] होने के कारण मिन प्रार्थीगण अपनी आराजी में टैक्टर, बैलगाडी, ऊट [illegible] वाहन इत्यादि वो खेती का सामान व साधन लाने, जाने में [illegible] है।
4. यह है कि आम सडक अलवर [illegible] एक आम रास्ता [illegible] 14 फुट खसरा नम्बर 2056 व खसरा नम्बर 2057 तक [illegible] तथा मिन प्रार्थीगण खसरा नम्बर 2057 की [illegible] अपनी आराजी में आवागमन करते है, तथा खसरा नम्बर 2057 के राजस्व रिकोर्ड में रकबा 0.0[illegible] गैर मु0 रास्ता भी दर्ज है, लेकिन फसल के समय अप्रार्थीगण स0 1 लगा0 7 जबरन मिन प्रार्थीगण का रास्ता बन्द कर देते है, जिससे मिन प्रार्थीगण को आराजी वा मकानात में आने जाने में बॉधा पैदा हो जाती है। जिस पर हर बार इस बात को लेकर अप्रार्थीगण से झगडा फिसाद भी होता रहता है।
5. यह है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 7 की आराजी खसरा नम्बर 2056 व खसरा नम्बर 2057 कदीमी आम रास्ता पर स्थित है, जिस आराजी खसरा नम्बर 2056 की पूर्वी डोल व खसरा नम्बर 2057 की पश्चिमी डोल के साथ से मिन प्रार्थीगण अपनी आराजी वो कृषि उपयोग हेतु निर्मित मकानात में आसानी से आवागमन करते है, इसलिए मिन प्रार्थीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:06:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

12 फुट चौडा नया रास्ता, अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 2056 व 2057 में से कायम किया जावे तथा उक्त रास्ता के बदले मिन प्रार्थी डी.एल.सी रेट की दुगना राशि नियमानुसार जमा कराली जावे।

6. यह है कि मिन प्रार्थीगण को अपनी आराजी व आराजी में स्थित मकानात तक पहुचने वो वापिस आने में बडी रूकावट वो मुसीबत होती है, तथा अप्रार्थीगण मिन प्रार्थीगण को अपनी आराजी में से आवागमन नही करने देते है तथा अब दिनांक 01.04.2019 को अप्रार्थीगण ने मिन प्रार्थीगण के रास्ता को बन्द कर दिया है तथा ऐलानिया तौर धमकी दी है कि हम तुम्हे आवागमन नही करने देगे। बस यही प्रार्थना पत्र हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होकर प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया है।

7. यह है कि मिन प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी में व आराजी में निर्मित मकानात में आवागमन का कोई रिर्कोडेड रास्ता न होने के कारण, अप्रार्थी स0 1 लगा0 7 की आराजी खसरा नम्बर 2057 व 2057 में से नया रास्ता कायम किया जावे, ताकी अप्रार्थीगण अपनी आराजी में सुविधाजनक तरीके से आवागमन कर सके तथा अपनी आराजी वो मकानात में उपयोग उपभोग व काश्त कर सके। जिसके लिये मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि –

मिन प्रार्थीगण की आराजी हाल खसरा नम्बर 2068 रकबा 0.47 है0, का 1/4 भाग व खसरा नम्बर 2071 रकबा 0.19 है0, 2586/2067 रकबा 0.03 है0, 1/2 भाग दर 4/5 भाग वाके ग्राम ततारपुर में स्थित है, जिस आराजी में वो आराजी में कृषि कार्य हेतु निर्मित मकानात तक पहुचने के लिये, अप्रार्थीगण स0 1 लगा0 7 की आराजी खसरा नम्बर 2056 रकबा 0.35 है0, व खसरा नम्बर 2057 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर में से 12 फुट चौडा नया रास्ता कायम कर, रास्ता घोषित किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

1. प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। सभी अप्रार्थीगण की तामील सम्यक रूप से हुई। अप्रार्थी सं0 03 लगा0 7 की ओर से अधिवक्ता श्री खेमचन्द सावरिया उपस्थित हुए। शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 03 लगा0 7 की ओर से इकबाल जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तहसीलदार से रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र में सुनवाई हेतु रखा गया।
2. प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–74, नक्शा ट्रेस पेश किये गये।
3. अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य, सबूत पेश नही किये गये।
4. तहसीलदार, मुण्डावर से मौका रिपोर्ट ली गई।
5. बहस वकूलाय सुनी गई।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

ग्राम ततारपुर का खसरा नम्बर 2068 रकबा 0.47 है0 का 1/4 भाग व खसरा नम्बर 2071 रकबा 0.19 है0, 2586/2067 रकबा 0.03 है0 1/2 भाग दर 4/5 भाग प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है। प्रार्थी खसरा नम्बर 2686/2067 में आने–जाने के लिए ख0नं0 2057, 2056 में से 12 फुट चौड़ा रास्ता चाह रहा है। खसरा नम्बर 2057, 2056 में प्रार्थी स्वयं खातेदार नही है। ख0नं0 2686/2067 में पहुचने के लिए प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा कोई विकल्प नहीं है। खसरा नम्बर 2686/2067 के चारो तरफ कोई कटानी सार्वजनिक रास्ता नहीं लगता है। ख0नं0 खसरा नम्बर 2686/2067 में आने–जाने [illegible] 56 में से ही उपलब्ध है। जबकी खसरा नम्बर 2056 रकबा 0.35 है0 में 0.34 [illegible] रानी ए व रकबा 0.01 है0 किस्म गैर मु0 नाला दर्ज है। खसरा नम्बर 2057 र[illegible] 0.29 [illegible] में 0.29 है0 किस्म बारानी ए व रकबा 0.01 है0 किस्म रास्ता दर्ज है। गैर मु0 नाला [illegible] रहमान प्रकरण से प्रभावित है।

समस्त तथ्यों के अवलोकन पर पाया गया कि प्रार्थी खसरा नम्बर 2686/2057 आवासिय रिहायसी मकान बनाकर रह रहा है। जहां से सम्पूर्ण मौका स्थिति को देखने [illegible] तया स्पष्ट हो जाता है कि, प्रार्थी के लिए इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से खसरा नम्बर 2057 की पश्चिमी डोल के साथ चौडाई 12 फीट का रास्ता ही एकमात्र न्यूनतम दूरी का, व्यवहारिक व सुविधाजनक रास्ता हो सकता है।

मौके पर प्रार्थी के खेत हेतु साधन आने–जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत तक आने–जाने, फसल की जुताई–बुवाई–कटाई, उपज के विपणन हेतु चौपहया वाहन के आवागमन की आत्यान्तिक आवश्यकता रहती है। खसरा नम्बर 2586/2067 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। जिसमें आने जाने के लिए खसरा नम्बर 2057 की पश्चिमी डोल से होकर कदीम से आता जाता है। रास्ता कटानी नहीं होने से प्रार्थी को नाजायज परेशान कर रहे है। प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:06:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी खसरा नम्बर 2586/2067 कि' किस्म गैर मु0 चाह है।

न्यायालय का यह सम्यक समाधान है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मात्र जोत के सुविधापूर्ण उपयोग–उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है बल्कि प्रार्थी की रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला है। यह भी कि आवेदक ने अपने खेत में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी साबित किया है। न्यायालय आवेदक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हैं। अतः वाके ग्राम ततारपुर, तहसील मुण्डावर स्थित भूमि खसरा नम्बर 2057 की पश्चिमी डोल के साथ साथ पूर्व – पश्चिम दिशा में चौडाई के समानुपाति चौड़ाई में 12 फीट, प्रार्थी को प्रचलित सार्वजनिक रास्ते से अपनी खातेदारी भूमि ख. नं. 2586/2067 के पश्चिमी कोने तक आने जाने के लिए रास्ते के रूप में दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मुण्डावर को आदेशित किया जाता है कि उक्त रास्ते में अप्रार्थीगण कि आयी भूमि की डी.एल.सी दर से दो गुणी राशि प्रार्थी से जमा करवाए जावे। जमा राशि को उक्त रास्ते में आई अप्रार्थी को आई भूमि के अनुपात के अनुसार वितरण कर रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप मे दर्ज की जावे। रास्ते को नजरी नक्शा (परिशिष्ठ A) में ए से बी तक दिखाया गया है। परिशिष्ट–ए निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अनावेदक को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि प्रार्थी को उपलब्ध करवाए गए उक्त रास्ते के उपयोग, उपभोग मे किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। तहसीलदार मुण्डावर रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह कायम कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किया जाकर रास्ता सुचारू रूप से चालू कराया जावे। यह रास्ता समस्त प्रकार के ऋण, भार, प्रभार से मुक्त होगा। आराजी खसरा नम्बर 2056 का रकबा 0.01 है0 किस्म गै0 मु0 नाला का रेफरेन्श प्रकरण तैयार कर माननीय सक्षम न्यायालय में पेश किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार मुण्डावर को लिखा जावे।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

29.1.21

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:06:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0